RAJYA SABHA

Tuesday, the 2nd June, 1998/12th Jyaistha, 1920 (Saka)

The House met at Eleven of the clock. Mr. Chairman in the chair. Oral Answers to Questions

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Legislation to Regulate Cable TV Operators

*81. DR. ALLADI, P. RAJKUMAR:
SHRI SANJAY DALMIA:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is a mushroom growth of Cable TV operators in the country;

(b) if so, the mechanism evolved to regulate their functioning;

(c) whether Government propose to bring a comprehensive legislation to regulate operators; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SMT. SUSHMA SWARAJ): (a) and (b) The number of registered cable operators in the country as on 31st August, 1997 was 32,412. Cable Television Operators are regulated by the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 and the Cable Rules made thereunder.

(c) Suitable legislation is contemplated.

(d) the details are yet to be finalised.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Mr. Chairman, Sir, the purpose of my raising this question is to point out to the Government that Indian satellites are being completely neglected. The foreign satellites are used and they are making a lot of money.

Sir, economic liberalisation and the broadcasting policy cannot be treated on a par. The broadcasting sector is not just another sector of industry. At present, the foreign monopolies are trying to dominate the Indian market. I would, therefore, like to know whether the Government would impose a restriction that foreign networks should use only the Indian satellites for broadcasting. Uplinking through Indian satellites should be made mandatory on foreign networks.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, हालांकि इस सप्लीमेन्ट्री सवाल का मूल सवाल से कोई लेना-देना नहीं है। मैं निश्चित तौर पर माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जो मसला उन्होंने उठाया है वह ब्रोडकॉस्टिंग बिल के ज़ेरे गौर है। यह आपको भी जानकारी होगी और मैं आपके माध्यम से सदन को भी जानकारी देना चाहती हूं कि ब्रोडकॉस्टिंग बिल पिछली लोक सभा में पेश किया गया था। उसके ऊपर एक संयुक्त संसदीय समिति बनी जिसमें राज्य सभा और लोक सभा दोनों के सदस्य थे। एविडेंस स्टेज तक तो वह जे॰पी॰सी॰ चली। उसके बाद लोक सभा डिजोल्व हो गई थी इसलिए जे.पी.सी. खत्म हो गई। लेकिन यह मामला कि सारे फोरेन सैटेलाइट चैनल्स को इंडिया से कम्पलसरी अपलिंकिंग दी जाए, यह प्रावधान में है और जब ब्रॉडकास्टिंग बिल सरकार पेश करेगी तब इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, the cable operators are charging enormous fee. There is no fixed fee. There is no uniform fee. They are charging fee according to their whim and fancy. I would like to know whether the Government has any clear-cut policy in this regard; to check these cable operators and ensure uniformity in the subscription being charged. I would like to know whether the Government would limit the subscription to be charged from every subscriber per month. I would also like to know whether the Government would put a restriction that no cable operator should have more than 3000-4000 households.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जो शिकायत माननीय सदस्य ने की है, इस तरह की शिकायतें सरकार के पास आती रही हैं। केबल नेटवर्क रेजोल्यूशन एक्ट-1995 पास हुआ था, जिसमें कुछ प्रावधान किए

*The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Alladi P. Raj Kumar.

गए थे। जो इस तरह की शिकायतें देखते हैं उसमें हमने यह प्रोविजन किया था कि हर राज्य सरकार एक आफिसर नियुक्त कर दे, जिसके पास इस तरह की शिकायतें आएं तो वह उनका निदान कर सके। लेकिन मुझे दुख होता है कि कुछ राज्य सरकारों ने वह ऑफिसर नियुक्त किये, बाकियों ने नहीं किए। जिसके कारण से इस तरह की शिकायतों का निदान नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमने तय किया है कि हम सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर यह कहेंगे कि जिन्होंने आफिसरों को नियुक्त नहीं किया है, वे उनकी नियुक्ति कर दें ताकि जनता इस तरह की शिकायतें उस अधिकारी को कर सके और उनका निदान हो सके।

SHRI ASHOK MITRA: Sir, the reply that has been furnished has been very carefully drafted by honest civil servants. But the Minister is globally known for her outspokenness, and I would expect that on this very serious issue the Minister would give some evidence of the forthrightness for which she is so celebrated. Everybody knows that cable operators have become a social menace. I was reading the other day that there is a statistical relationship that can be established between the proliferation of cable operators and the spread of violence including violence against women. There are several cable operators who on the sly in the late hour or in the late afternoon exhibit blue films with impunity. We can always talk about what should be the share of the State Governments and that of the Union Government in these matters. This is something which affects the entire nation. I do honestly believe that we have to sit together and work out a rational arrangement so that we can yet save the nation's future.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जो चिन्ता माननीय सदस्य अशोक मित्रा जी ने व्यक्त की है, मैं उनकी चिंता को शेयर करती हूं और उन्हें यह भी बताना चाहती हूं कि जो अपेक्षाएं उन्हें आउट स्पोकन मिनिस्टर से है, वे अपेक्षाएं निश्चित ही पूरी होंगी। मैं इस बात के लिए उनका धन्यवाद करती हूं जो उन्होंने कहा कि मिल-बैठकर रेशनल पालिसी इसके लिए बनायें। निश्चित ही मैं उनका सहयोग लूंगी। एक रेशनल पालिसी बनाना बहुत आवश्यक है। इसमें केबल आपरेटर्स, प्रोग्राम प्रोवाइडर और सब्सक्राइबर्स, इन तीनों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक सुलझी हुई नीति बने। मैं निश्चित ही मानती हूं कि ऐसी नीति का अभाव है, अभी ऐसी नीति नहीं है। जो आपने ब्लू फिल्म और एडल्ट्स फिल्म की बात की है, वह भी हमारी चिंता है। पता नहीं कैसे ला में आ गया कि रात के 11 बजे बाद यह दिखा सकते हैं। निश्चित तौर पर इसको डिलीट करने की जरूरत है। मैं आपके साथ भी और हमारे संसद के माननीय सदस्यों के साथ बैठकर एक ऐसी रेशनल नीति जरूर बनाऊंगी उनकी अपेक्षाओं पर यह सरकार खरी उतरेगी, इसका आश्वासन मैं श्री मित्रा जी को देना चाहती हूं।

श्रीमती वीणा वर्मा: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि केबल टी०वी०की लोकप्रियता के बारे में सब जानते हैं और जिस तरह से केबल टी०वी० प्रशरूमिंग हो रहा है वह भी हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन केबल टी०वी० के विस्तार से हमारे दूरदर्शन पर भी असर पड़ रहा है। कुछ दिनों से दूरदर्शन पर एक एडवर्टिजमेंट, एक घोषणा कि

> "DD will telecast several interesting programmes, educative and entertaining programmes. It requests you to ask your cable operators to give you DD programmes, utilising satellite dish antenna for good quality reception. It is your right and cable operator's duty to give you better reception for the Doordarshan."

तो इसका क्या मतलब है? आपके टेली सीरियल ट्रांसमिशन नेट-वर्क जो है उस पर इसका असर पड़ता है तो सीधे इन्सेट सैटेलाइट से दूरदर्शन चैनल देने के बारे में सरकार कब विचार करेगी just to improve or to give you a satellite network, satellite channels or to improve this facility? बंगलौर की एक संस्था ने, इंस्टीट्यूट ने दो छोटे छोटे उपकरण चाइस पैड और चाइस सरवर नाम के, दो इन्स्ट्रूमेंट ईजाद किए हैं जिससे सीधे इसको कंप्यूटर से भी जोड़ा जा सकता है और इससे सीधे सैटेलाइट चैनल्स भी आ सकते हैं। तो इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? डी०डी० व्यूअर्स और भारत के जन जन का यह राइट है—दूरदर्शन ट्रांसमिशन पहले सीधे आता था लेकिन अब केबल टेलीविजन सीधे चैनल से लेता है, डिश एंटेना से लोग सीधे सैटेलाइट से लेते हैं, सीधे चैनल से लेते हैं। विदेशी चेनल भी लेते हैं तो फिर दूरदर्शन जीक हो गया। उसके लिए एक और एंटेना लगाना पड़ता है

और दूरदर्शन पाने तक के लिए डेढ़ सौ रुपया प्रति मास रेंटल भी देना पड़ता है। इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है? यह नागरिकों का भी राइट है कि वे सीधे सीधे दूरदर्शन के चेनल के कार्यक्रम साफ साफ देख सकें और उनको इसके लिए कोई एंटेना न लगाना पड़े। गांव गांव में जहां डिश एंटेना या केबल आपरेटर नहीं हैं, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है ताकि दूरदर्शन उनको सीधा मिले। सेटेलाइट चेनल से भी आप नेटवर्क को बढ़ाएं, इम्प्रूव करें।

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, वीणा जी की शिकायत बजा है। उन्होंने पूछा कि सरकार कब निर्णय करेगी, मैं उनको बताना चाहूंगी कि सरकार निर्णय करेगी नहीं, सरकार ने निर्णय कर लिया है। जो शिकायत आपने की है, वह शिकायत बहुत सही है कि केबल के थ्रू दूरदर्शन का ट्रांसमिशन इतना खराब आता है कि लोगों को अलग डिश एंटेना, अलग खिंच लगा कर के दूरदर्शन देखना पड़ता है। पहले जो नियम बनाए गए थे, उसमें यह कहा गया था कि केबल आपरेटर डी०डी० के कोई दो चेनल ले लें लेकिन अब हमने कहा है कि वह डी०डी० के दो टेरेस्ट्रियल चेनल जिसमें डी०डी० वन और डी०डी० टू ले लें, यह उनके लिए मेनडेटरी होगी। (व्यवधान)

श्रीमती वीणा वर्मा: मंत्री महोदया की जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूं कि केबल आपरेटर दूरदर्शन नहीं लेते हैं। आप कहीं भी होटल में चले जाइये, हमको स्पेशली मांगना पड़ता है क्योंकि हमें दूरदर्शन का न्यूज़ भी देखना होता है। इसलिए वह भी नहीं दिखा रहे हैं और जब आता है तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है जिसके कारण लोग देखते ही नहीं है क्योंकि इससे बढ़िया विदेशी चेनल आ रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो शिकायत आप कर रही हैं, वह सही कर रही है। यही मैं कह रही हूं। इसी कारण से अब यह तय किया गया है कि उनको यह कहा जाए कि डी०डी० के दो टेरेस्ट्रियल चेनल यानी डी०डी० वन और डी०डी० टू उनको दिखाना ही होगा। जो निर्णय आप सरकार से करवाना चाह रही हैं, मैं यह कह रही हूं कि यह चिन्ता उनकी मानते हुए सरकार निर्णय कर रही है। कब करेगी वाली बात नहीं है। We are already seized of the matter. जो शिकायत आप कर रही हैं, वह शिकायत बहुत सच्ची है। केबल आपरेटर्ज़ के माध्यम से दूरदर्शन का अच्छा सिग्नल नहीं जा रहा है, अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है, इसके लिए सरकार यह निर्णय कर रही है कि अब दो टेरेस्ट्रियल चेनल डी०डी० के केबल आपरेटर्ज़ को दिखाने ही पड़ें। इसके बाद आपको यह चिन्ता समाप्त हो जाएगी, यह मैं आपको बताना चाहूंगी।

श्रीमती वीणा वर्मा: आपके पास इसके लिए कौन सा मैकेनिज्म है कि वह दिखाएंगे ही? (व्यवधान) क्या आप पुलिस का सहयोग लेंगे अगर नहीं दिखाएंगे? (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज: वीणा जी, सरकार असहाय नहीं है। अगर वह इसका पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार के हाथ बहुत लम्बे हैं करवाने के लिए।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: While replying to the main question, the hon. Minister indicated that the Government is going to evolve a national policy in this regard. She also indicated that certain changes in the registration may be necessary. I would like to know from the hon. Minister whether she could indicate some time-frame by which the Government would be in a position to formulate the policies; and if any changes are necessary in the legislation. In this connection I would like to say that in the 1995 Act, there were certain regulatory provisions and the State Governments were asked to designate certain officers to look into the complaints and take remedial measures. In reply she said that some of the State Governments have done so. Could she give figures about how many States have done it and how many States have not done it so that the Government can pursue them?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जहां तक डेडलाइन का सवाल है, मैं कोई तारीख तो दे नहीं सकती हूं लेकिन यह कह सकती हूं कि बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। मैं प्रणब बाबू जी को यह बताना चाहूंगी कि तीन चीज़ें इस समय हमारे दिमाग में चल रही है। एक तो यह कि जो एक्ट 1995 का है इसी में कुछ तरमीम करें, संशोधन करें और इसे ठीक करें। दूसरा यह कि इसको हम रिपील कर दें और एक बिलकुल नया एक्ट जिसमें तीनों लोग केबल आपरेटर, प्रोग्राम प्रोवाइडर्ज़ और सब्सक्राइबर्स के हितों को सामने रख कर एक सुलझी हुई नीति वाला नया एक्ट ले कर आएं। तीसरा यह है कि ब्रॉडकास्टिंग बिल में चूंकि यह विषय है और यह एक्ट रिपील करने की बात है तो

उसको रिपील करके नया बिल ले आएं We should take care of this problem. अब इन तीनों में से क्या करना है, केवल इस बात पर हमें तय करना है लेकिन बहुत जल्दी। अगर आप डेड-लाइन समझें तो कम से कम अगले सेशन तक मैं सोच सकती हूं कि निश्चित तौर पर हम इसके ऊपर कोई सुलझी हुई नीति ले आएंगे। जहां तक आपने पूछा कि कौन कौन सी स्टेट्स के आफिसर्ज़ की नियुक्ति कर दी गई है और कौन सी स्टेट्स ने नहीं की है, उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। अगर पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। **(व्यवधान)**

SHRI PRANAB MUKHERJEE: To save time, you can lay it on the Table of the House. We will get it.

श्रीमती सुषमा स्वराज: जिन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, उनके नाम मैं पढ़ देती हूं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, मणिपुर नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, आसाम, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान-निकोबार आइलैंड्स, दमन एण्ड दियू पांडिचेरी, दादरा एण्ड नागर हवेली, एण्ड लक्षद्वीप। जहां तक आपने रिमेडियल मेजर्स के बारे में कहा तो मैंने पहले ही एक सवाल के जवाब में कह दिया कि हम इन तमाम राज्यों को पत्र लिख रहे है कि वे जल्दी से जल्दी अधिकारी नियुक्त करें।

SHRI G. SWAMINATHAN: Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Minister that the quality of service rendered by cable operators is very bad in many mofussil places; and their charges are very heavy. There is absolutely no after sales service. They close anytime and they open anytime. The customers are finding it extremely difficult to get these things rectified because they do not know to whom to complain. I would like to know the answer for this.

Sir, it has been a convention of this House that whenever a Member puts a question in English, the answer is also given in English. But today I found there is a variance. Some of the hon. Members, including Mr. Alladi Rajkumar, have put questions in English but the Minister has replied to them in Hindi. The hon. Minister for Information and Broadcasting is known for her skills both in English and Hindi. I would request her to reply to my question only in English so that I can understand her better.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Mr. Chairman, Sir, had there been no simultaneous translation facility, I would have certainly replied to the question of the hon. Member in English लेकिन चूंकि साइमलल टे- नियस ट्रांसलेशन की सुविधा आपको है, आप लगाइए इसको और ट्रांसलेशन पर सुनिए क्योंकि जो जवाब मैं यहां दे रही हूं ...**(व्यवधान)**

SHRI G. SWAMINATHAN: It has been a convention in this House all through. This convention was that whenever a Members puts a question in English, it was replied to in English only.

श्रीमती सुषमा स्वराज: कन्वेन्शन तो फिर दोनों के लिए होना चाहिए।

SHRI G. SWAMINATHAN: Whenever I had put a question in English, the answer to it has been given only in English. It had never been given in Hindi.

श्रीमती सुषमा स्वराज: फिर वह कन्वेन्शन दोनों के लिए होना चाहिए।

SHRI G. SWAMINATHAN: Mr. Chairman, Sir, I will be thankful if you can give a direction to the Minister.

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, जब सवाल हिंदी में पूछा जाता है तो बहुत से मंत्री अंग्रेजी में ही आन्सर करते हैं इसलिए चूंकि साइमलटेनियस ट्रांसलेशन से मेम्बर हिंदी में सुन सकते हैं। लेकिन जो चीज मैं यहां बोल रही हूं वह पूरा देश सुन रहा है और इसलिए ...**(व्यवधान)**

SHRI G. SWAMINATHAN: I cannot put a question in my language, Tamil. When I speak in Tamil, I can ask for its interpretation. Can I put a question in Tamil? We have the interpretation facility.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Mr. Swaminathan, you have every right to put a question in your langauge. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मंत्री जी के ऊपर इस प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए जो अंग्रेजी में ही जवाब दें। यह गलत है। मंत्री जी किसी भी भाषा में

जवाब देना चाहें वे दे सकते हैं क्योंकि 14 भाषाओं में यहां पर इंटरप्रेटेशन अवेलेबुल है...**(व्यवधान)** इसलिए यह गलत है...**(व्यवधान)**

SHRI G. SWAMINATHAN: All regional languages should have interpretation. I would like to speak in Tamil. ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: किसी भी भाषा में जवाब देना चाहें वे दे सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और 14 भाषाओं में इंटरप्रेटेशन अवेलेबुल है। कोई भी आदमी आला लगाकर सुन सकता है।

SHRI G. SWAMINATHAN: During the Question Hour I cannot put a question in my language. ...*(Interruptions)*...

डा. अलादी पी. राजकुमार: मंत्री जी केपेबुल है ..**(व्यवधान)**

श्री एस.एस. अहलुवालिया: नहीं, नहीं केपेबिलिटी की बात नहीं है। तब तो खुद मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट यहां पर इंटरप्रेटर बनेंगे और इंटरप्रेटर को बनाइए फिर मेम्बर आफ पार्लियामेंट और मंत्री। बात यहां है कि किसी भी भाषा में जवाब देना चाहें वे दें जिसमें उसे सहूलियत हो ...**(व्यवधान)** कोई कम्पलशन नहीं होना चाहिए।

SHRI G. SWAMINATHAN: I cannot speak in Tamil. You provide interpretation during the Question Hour also. I will be very happy.

MR. CHAIRMAN: Let us not make it a feud between one language and the other.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member can put a question in Tamil. I can use this facility of translation. It can be translated either into English or into Hindi. I don't want to indulge myself in any dispute. I am only saying...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, please, please don't ...*(Interruptions)*...

SHRI S. MUTHU MANI: Sir, Members from the South are familiar with their regional languages. We are having knowledge, we are equipped with all facts, but we are not able to ...*(Interruptions)*... This is how things are going on in our country. So, all facilities in regional languages should be provided and whoever wants to put a question in his language, he should be permitted to do so. For that all facilities should be provided. Only then can we say that we are enjoying our fundamental right and only then can we say that we are living in an independent India. With your kind permission, that should be done.

MR. CHAIRMAN: I think there is an arrangement for translation in all the languages except during the Question Hour. But if you want to speak in your language, you can give notice and it would be done. ...*(Interruptions)*... Please, please, that is all right.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: This written answer also should come in Tamil.

MR. CHAIRMAN: Please do not raise this language feud again. We have suffered enough in this country. Let us not start it again. ...*(Interruptions)*... Please, please, please, sit down.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member has complained that cable operators are charging a very high fee from subscribers and they are not giving very good service. I think from the beginning I am answering this question that all the State Governments have been asked to authorise one officer. The State from which you come, that is, Tamil Nadu, has not appointed such an officer. That is why where is no redressal machinery. I am writing a letter to the Tamil Nadu Government to appoint an officer to whom the public can complain and then that officer will deal with their grievances.

श्री ओंकार सिंह लखावत: सभापति महोदय, यह जो केबल से संबंधित कार्यकरण को नियंत्रित करने के लिए कार्यविधि के बारे में प्रश्न आया है, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश के अंदर सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने की दृष्टि से यह केबल ऑपरेटर्स और केबल सिस्टम बहुत भयंकर रूप से कार्य कर रहा है। हमारी सांस्कृतिक विधि को संपूर्ण रूप

से, एटम बम से भी ज्यादा प्रभावी रूप से घर-घर के अंदर इसको प्रभावित किया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जितने भी चेनल हैं, जितने केबल ऑपरेटर्स हैं उनके कनैक्शन देने पर नियंत्रण करने वाला जो कानून है उसको इतना प्रभावी बनाते हुए सरकार द्वारा नियंत्रित करना चाहिए कि हमारे यहां सांस्कृतिक प्रदूषण से यह देश बच सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है और सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि उस प्रदूषण से बचाने के लिए वह इस पर कैसे नियंत्रण करेगी, इसके बारे में सदन को जानकारी चाहिए?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, सांस्कृतिक प्रदूषण की चिंता समूचे देश की चिंता है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि केबल आपरेटर रेगुलेशन एक्ट में चेंज करने से वह चिंता मिट नहीं जाएगी, उसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया जो अभी तक था उसको हमने एटॉनामी देकर के प्रसार भारती बोर्ड बनाया है। प्रसार भारती बोर्ड में अब जो मैं बिल ला रही हूं उसमें ब्रॉडकास्टिंग कौंसिल का प्रावधान रहेगा। उस ब्रॉडकास्टिंग कौंसिल के सामने आम जनता यह शिकायत कर सकेगी कि यह कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाता है, यह कार्यक्रम ओबसीन है, यह कार्यक्रम वलगर है और उसके ऊपर बजाय इसके कि कोई मिनिस्टर सब्जैक्टिव जजमेंट ले वह ब्रॉडकास्टिंग कौंसिल तय करेगी कि यह कार्यक्रम नहीं आना चाहिए। जहां तक सैटेलाइट चैनल का सवाल है जैसे मैंने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग बिल जो हम लाना चाह रहे हैं उसमें कंपलसरी अपलिंकिंग फ्रॉम इंडियन सायल उसका प्रावधान है और जब अपलिंकिंग किसी देश से होती है तो उस अपलिंकिंग का एडवर्टाइज़मेंट कोड उस देश का जहां से अपलिंकिंग होती है उनकी गाइडलाइन्स उन्हें मानना होता है और अगर वह उसका वायलेशन करते हैं, नहीं मानते हैं तो कोर्ट में उन पर मुकदमा हो सकता है। उनके लाइसेंसेज़ कैंसल हो सकते हैं। उसके साथ-साथ केबल आपरेटर्स रेगुलेशन एक्ट में कुछ नियम बदल करके केबल आपरेटर्स पर यह आपरेटर्स पर यह पाबंदी लगाने का भी है कि वह यहां का एडवर्टाइजमेंट कोड और यहां का प्रोग्राम माने। ये दोनों-तीनों चीज़ों की तरफ से इकट्ठे घेराबंदी और नाकेबंदी कर रहे हैं और इसके होते हुए ही यह सांस्कृतिक प्रदूषण में बहुत बड़ी कमी आएगी। इसका आश्वासन मैं देना चाहती हूं।

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY: Sir, with your permission, I would like to put one question which is not strictly related to the present question. It follows from Dr. Ashok Mitra's and Shrimati Veena Verma's questions. I request the Minister, for whom I have a lot of respect, to clarify one thing. To withstand the effect of foreign culture, we have not only to look outside but inside also, and the dangers about which Dr. Ashok Mitra spoke, *i.e.* the adverse effects of foreign media are also true of our own TV productions because I cannot see with my children many of the TV serials and films that are shown on TV. Will the Minister also look into this problem? This is a very, very serious question which is adversely affecting our culture and family life and promoting violence, especially against women.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Bharati Ji I have already answered this question. Mr. Onkar Singh Lakhawat also asked the same question, about the cultural policy. In your question, you said: "inside the country". That means, if you are referring to Doordarshan, I have already said that after the revival of the old Act of 1990, the Prasar Bharati Act, the Broadcasting Council will be revived and the public can complain to that Broadcasting Council. I share the concern of the hon. Member and I will certainly take steps to remedy the situation.

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सभापति जी, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि केबल ऑपरेटर्स के माध्यम से, डी॰टी॰एच॰ का प्रोग्राम भी आने की संभावना देखी जा रही है और जैसाकि अभी एम॰टी॰वी॰, एम॰वी॰एल॰टी॰वी॰ और ई॰टी॰वी॰ ने जिस तरह से हमारी संस्कृति पर हमला बोला है और जहां घर-घर में बच्चा तिरंगे झंडे और देश प्रेम की भावना की बात किया करता था, आजकल वह "अंखियां न मटकाना" और पेलविक मूवमेंट के साथ मेल और फीमेल के डांस हो रहे हैं जोकि बहुत ज्यादा वल्गर हैं। जो डांस सेंसर द्वारा अलाउ नहीं हैं, वह टी॰वी॰ के माध्यम से आ रहे हैं। हरेक गाने पर अलग से डांस तैयार किया जाता है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि जैसे पहले दूरदर्शन में एक "कोड ऑफ कंडक्ट" बनाया गया था कि 12-14 घंटे के टेलिकॉस्ट में संस्कृति से संबंधित प्रोग्राम इतने घंटे, इतिहास से जुड़ा प्रोग्राम इतने घंटे और स्वाधीनता संग्राम से जुड़े प्रोग्राम इतने घंटे

दिखाए जाएंगे, क्या अपनी नेटवर्क में केबल नेटवर्क वालों को ऐसा कोई रास्ता बताया गया है कि 24 घंटे के उनके टेलिवाइज्ड प्रोग्राम्स में वह इतने-इतने प्रोग्राम इस-इस तरह से दिखाएंगे और क्या उन पर कोई अंकुश लगाने की बात सरकार सोच रही है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: सभापति जी, इस तरह की कोई पाबंदी तो केबल ऑपरेटर्स पर नहीं लगायी जा सकती कि वे इतने समय इतिहास दिखाएं या इतने समय एजुकेशन के प्रोग्राम दिखाएं, लेकिन यह जरूर कि वे डी॰डी॰ के दो टेरेस्ट्रियल चैनल्स निश्चित तौर पर दिखाएं। यह बात कही जा सकती है। सभापति जी, जो बात सुरेन्द्र सिंह जी ने कही है, निश्चत तौर पर सदन के द्वारा पूछे गए सवालों में से 90 फीसदी सवाल सांस्कृतिक प्रदूषण को लेकर हैं और मैंने हर बार सदन की चिंता के साथ अपने आप को मिलान करते हुए कहा है कि उस चिंता को मैं केवल शेअर ही नहीं कर रही हूं बल्कि उस के समाधान के लिए भी प्रयत्नशील हूं और जितने मार्ग मैंने अभी बताए—ब्रॉडकास्टिंग बिल के माध्यम से, प्रसार भारती में ब्रॉकास्टिंग काउंसिल को रिवाइव करने के माध्यम से, केबल नेटवर्क रेगुलेशंस में तरमीम करने के माध्यम से, ये सब उसी चिंता के समाधान की दिशा में उठाए गए कदम हैं और मुझे लगता है कि आप थोड़ी देर रुकिए आप को स्वयं एहसास होगा कि काफी कुछ बदला है।

SHRI S.R. BOMMAI: Sir, I highly appreciate the sincere efforts of my able Minister holding the Broadcasting portfolio. Even in foreign countries, private cables for adults operate after 11 O'clock or 12 O'clock. Such a restriction is there in a number of countries. Why shouldn't this restriction be there in our country?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: Sir, this restriction is already there in our country. ...(*interruptions*)... This restriction is there in our country also. Rather, we want to delate that. Not even after 11 o'clock this should be shown. We want to make it stricter.

श्री सीताराम केसरी: सभापति जी, आप के माध्यम से इंफार्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री महोदया से मेरा प्रश्न है कि जैसा कि इनकी सरकार अतीत की स्मृतियों के आधार पर संस्कृति की बात करती है, उस का मैं भी समर्थक हूं। मैं जानना चाहूंगा कि जैसे दूरदर्शन में तरह-तरह के चित्र चित्रित होते हैं, उसी तरह से पाटलीपुत्र के निकट स्थित नेपाली मंदिर को भी वे चित्रों में दिखाने की कोशिश करेंगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मंत्री जी मुझे लिख दें, फिर मैं देखूंगी कि किस कार्यक्रम में वह चित्र दिखाया जा सकता है, सभापति जी, वे पूर्व मंत्री हैं, इसलिए हम लोगों को इन्हें मंत्री जी कहने की आदत हो गयी है। केसरी जी, आप हमें लिख भेजिए कि कौन से नेपाली मंदिर के चित्र आप दिखाना चाहते हैं।

श्री सीताराम केसरी: वह नेपाली मंदिर है, इसलिए मैंने आप को याद दिलाया।

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप याद मत दिलाइए, लिखकर भेज दीजिए।

श्री सीताराम केसरी: चूंकि भारतीय संस्कृति की चर्चा बहुत होती है...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप लिखकर भेज दीजिए फिर देखेंगे कि उस मंदिर को कहां दिखाया जा सकता है।

श्री सीताराम केसरी: मैं फिर से दोहरा देता हूं। पाटलीपुत्र चित्रलेखा और उन के रूपरंगों के लिए प्रसिद्ध है तो क्या आप उसे संस्कृति के अंतर्गत मानते हुए चित्रों में प्रदर्शित करेंगी? मैंने नेपाली मंदिर की बात इसलिए कही चूंकि हुसैन के चित्रों पर जिस तरह से प्रहार हुआ है, मैं चाहता हूं कि एक बार उधर झांकिए। उस नेपाली मंदिर को देखिए और देखिए कि भारतीय संस्कृति में उस का क्या स्थान रहा है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: केसरी जी, मैंने आप से कहा कि लिखकर भेज दें। सभापति जी, अभी यह जानने और स्वीकार करने में समय लगेगा कि केसरी जी मंत्री नहीं हैं और मैं मंत्री हूं, लेकिन वह लिखकर भेज दें तो मैं जरूर देखूंगी कि कहां दिखाया जा सकता है।

Transfer of Income Tax Officials

*82. SHRI N. R. DASARI:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:†

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of Income Tax officials have been transferred recently affecting the ongoing investigation against a number of politicians; and

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Gurudas Das Gupta.